संख्या-17**/2023/आई/260870/001- 41-1002-001-45-2022-327-Budget-2021**

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक 12 जनवरी, 2023**

विषय:- जनपद कुशीनगर बुद्धाथीम पार्क योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6054/6-1-1/(1411)/2021-22 दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रायोजना हेतु उ0प्र0प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित रू0 1941.40 लाख स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

2- महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त आगणन का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से परीक्षण/मूल्यांकन कराने के क्रम में प्रभाग द्वारा कतिपय सामान्य प्रकृति के कार्यों की आंकलित लागत रू0 602.60 लाख संस्तुत करते हुये अवशेष कार्यों के संबंध में निम्नांकित आख्या प्रस्तुतकी गई:-

प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यमद यथा-आर्टिस्टिक आइटम, वुडेन आइटम, सर्विलाइन्स आपरेशन एवं मेन्टीनेन्स तथा इमर्सिव टेक्नोलॉजी की प्रस्तावित कुल रू0 1132.68 लाख लागत का आंकलन प्रभाग द्वारा नहीं किया गया है। प्रभाग का मत है कि यह एक विशिष्ट प्रकृति का कार्य है। अत: इसकी आवश्यकता एवं औचित्य स्पेशिफिकेशन एवं लागत के संबंध उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति गठित की गई:-

प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0, शासन	अध्यक्ष
श्री दिनेश कुमार, उपनिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य सचिव
श्री सिद्धान्त लैटिस, आर्किटेक्ट (लैटिस डिजाइन स्टूडियो)	सदस्य
श्री अनिल कुमार, परियोजना प्रबंधक, यू0पी0पी0सी0एल0, यूनिट-29, गोरखपुर	सदस्य
श्री रविकान्त रजक, महाप्रबंधक (तकनीकि सेल), उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ	तकनीकि सलाहकार

4- उक्त समिति द्वारा दिनांक 20.05.2022 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में यह संस्तुत किया गया कि परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत रू0 1941.40 लाख के सापेक्ष सिविल निर्माण कार्यों की आंकलित लागत रू0 602.60 लाख की स्वीकृति परियोजना की नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0 के पक्ष में जारी की जायेगी। प्रायोजना में सम्मिलित रू0 1132.68 लाख की प्रस्तावित लागत के विशिष्ट प्रकृति के अलंकरण सौन्दर्यीकरण आर्टवर्क संबंधी कार्य विशिष्ट प्रकृति के कार्य हैं, जिनमें सामग्रियों का क्रय, डिजिटल तथा आर्ट वर्क सम्मिलित है। उक्त विशिष्ट प्रकृतिके कार्य उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 द्वारा किये जायेगें जो आर्ट कन्सल्टेन्टस एवं आईटी0 कन्सल्टेन्टस के माध्यम से इन कार्यों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संपादित करायेंगें। समिति द्वारा विशिष्ट प्रकृति के कार्य सामग्रियों का क्रय (बाट आउट) एवं डिजिटल तथा आर्टवर्क के हैं, जिनकी लागत कार्यदायी संस्था द्वारा कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है, की संस्तुति की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5- समिति की उपर्युक्त संस्तुति के क्रम में कार्यदायी संस्था में परिवर्तन करते हुए शासनादेश दिनांक 08.06.2022 द्वारा पूर्व से नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 को सामान्य प्रकृति के कार्य (जिनकी आंकलित लागत रू0 602.60 लाख है) को करने के लिए कार्यदायी संस्था नामित करते हुए विशिष्ट प्रकृति के कार्यों (जिनकी प्रस्तावित लागत रू0 1132.68 लाख है) को कराये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

6- तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के पत्रांक-3356/6-1-1/(1411)/2021-22 दिनांक 10-08-2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या/ संस्तुति प्राप्त हुई जिसमें प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन निगम विकास निगम लि0, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 05-08-2022 एवं महाप्रबन्धक (तकनीकि सेल) के पत्रांक-1076/परि0-5/आगणन/2022-23 दिनांक 06-08-2022 के आधार पर डी0पी0आर0 में किये गये प्राविधानों को औचित्यपूर्ण होने की संस्तुति की गई है।

7- अत: वर्णित तथ्यों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कुशीनगर बुद्धाथीम पार्क के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु निम्नवत् प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्तर-7 (1) से 7 (21) पर अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	परियोजना के कार्यों का विवरण	कार्यदायी संस्था	लागत एवं प्रशासकीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति
1	सामान्य प्रकृति के कार्य	यू 0 पी 0 पी 0 सी 0 एल 0	रू 0 602.60 लाख (जी 0 एस 0 टी 0 सहित)	प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू 0 301.30 लाख
2	विशिष्ट प्रकृति के कार्य	उ 0 प्र 0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि 0	रू 0 1132.68 लाख (जी 0 एस 0 टी 0 सहित)	प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि रू 0 283.17 लाख
	कुल योग	**धनराशि 1735.28 लाख**		**रू 0 584.47 लाख**

(1) प्रश्नगत प्रायोजना पर नियमानुसार धनराशि व्यय/आवंटन करने से पूर्व महानिदेशक कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति प्राप्त कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यय टेण्डर लागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022**,** दिनांक-07.06.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022**,** दिनांक 04.11.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(7) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(8) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध नही करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.11.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(11) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(12) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(13) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(14) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(19) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता तथा नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(21) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण **(**UPNEDA**)** से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,84,47,000 (रुपये पांच करोड़ चौरासी लाख सैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक में अनुदान-संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-7-132/दस-2022-23, दिनांक-29.09.2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-17/2023/आई/260870/001- 41-1002-001-45-2022-327-Budget-2021 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी, गोरखपुर/कुशीनगर।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-3, 4, 5, 6, 7, 8 व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, गोरखपुर।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।